अमर उजाला

नकली लेबल लगाकर शराब बेचने के आरोपी निवर्तमान पार्षद से 10 हजार बरामद



एक साल पहले पिहोवा एल-14 पर नकली लेबल लगाकर शराब बेचने के मामले में शामिल आरोपी पिहोवा के निवर्तमान पार्षद को जेल भेज दिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी पार्षद पलविंद्र सिंह उर्फ पम्मा वासी केशव कॉलोनी से 10 हजार रुपये बरामद किए।

डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि 28 जून को पिकाडली एग्रो इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट सुनील कुमार ने थाना सदर पिहोवा को दी शिकायत में बताया कि उनकी शराब कंपनी के एक ब्रांड के नाम से डुप्लीकेट मार्का लगाकर एल-14 पिहोवा पर नकली शराब बेची जा रही है। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच सीआईए-2 को को सौंपी थी। जांच करते हुए सीआईए-2 ने आरोपी सुनील उर्फ सिल्लु, अमरीश उर्फ आशु, रमेश कुमार उर्फ मेसी वासी वकील कॉलोनी चीका (कैथल), आरोपी दीपचंद उर्फ दीपा वासी शाहाबाद, जसबीर उर्फ जस्सा वासी पाडला (कैथल), छठे आरोपी जसबीर उर्फ जस्सु वासी अहर थाना इसराना (पानीपत), सातवें आरोपी संजय वासी गंजेड़ी थाना तलहेड़ी जिला सहारनपुर हाल वासी देव पुरम कॉलोनी (सहारनपुर), संजय वासी नजटीक शिव मंदिर पानीपत को गिरफ्तार किया था।

वहीं आरोपी राजेंद्र वासी राधाविहार थाना कोतवाली सहारनपुर (यूपी), 22 जुलाई को अमित वासी कैथल, 23 जुलाई को तरसेम सिंह वासी चीका को गिरफ्तार करके कारागार भेजा था। अब इस मामले में पुलिस ने पलविंद्र सिंह, कुलविंद्र सिंह, चरण सिंह और सोनू को गिरफ्तार करके आरोपी निवर्तमान पार्षद पलविंद्र सिंह को तीन अगस्त तक, आरोपी कुलविंद्र सिंह को 4 अगस्त तक और अन्य दोनों आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। पुलिस पूछताछ पर आरोपी पलविंद्र सिंह ने 10 हजार रुपये नकदी बरामद कराई और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

Source: https://www.amarujala.com/haryana/kurukshetra/10-thousand-recovered-from-the-accused-of-selling-fake-liquor-kurukshetra-news-knl787673119